



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 1983/फाल्गुन 5, 1904
No. 89] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 1983/PHALGUNA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1983

का. आ. 140(अ). —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. बुवाई या रोपण (जिसमें खाद्य फसलों या पशु-चारे की गौध और कन्द, बल्ब, प्रमूल, मूल, कटात और सभी प्रकार की कलमें और अन्य वनस्पतिक रूप से प्रवर्धित सामग्री भी हैं) में प्रयुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित बीजों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक वस्तु घोषित करती है, अर्थात् :—

- (1) खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज,
- (2) पशु-चारे के बीज, और
- (3) पटसन बीज ।

[फा. सं. 26(7)/82-ई.सी.आर.]

आई. एम. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1983

S.O. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby declares the following seeds used for sowing or planting (including speedlings and tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings and all types of grafts and other vegetatively propagated material, of food crops or cattle fodder) to be essential commodities for the purposes of the said Act namely :—

- (i) seeds of food-crops and seeds of fruits and vegetables,
- (ii) seeds of cattle fodder, and
- (iii) jute seeds.

[F. No. 26(7)82-ECR]
J. M. SAHAI, Jt. Secy.

प्रमाणित की जायेगी

संज्ञा

जुट्टे, जिनके नाम हैं—

1. जूट (1)

2. जूट (2)

3. जूट (3)

4. जूट (4)

5. जूट (5)

6. जूट (6)

7. जूट (7)

8. जूट (8)

9. जूट (9)

10. जूट (10)

11. जूट (11)

12. जूट (12)

13. जूट (13)

14. जूट (14)

15. जूट (15)

16. जूट (16)

17. जूट (17)

18. जूट (18)

19. जूट (19)

20. जूट (20)

21. जूट (21)

22. जूट (22)

23. जूट (23)

24. जूट (24)

25. जूट (25)

26. जूट (26)

27. जूट (27)

28. जूट (28)

29. जूट (29)

30. जूट (30)

31. जूट (31)

32. जूट (32)

33. जूट (33)

34. जूट (34)

35. जूट (35)

36. जूट (36)

37. जूट (37)

38. जूट (38)

39. जूट (39)

40. जूट (40)

41. जूट (41)

42. जूट (42)

43. जूट (43)

44. जूट (44)

45. जूट (45)

46. जूट (46)

47. जूट (47)

48. जूट (48)

49. जूट (49)

50. जूट (50)

51. जूट (51)

52. जूट (52)

53. जूट (53)

54. जूट (54)

55. जूट (55)

56. जूट (56)

57. जूट (57)

58. जूट (58)

59. जूट (59)

60. जूट (60)

61. जूट (61)

62. जूट (62)

63. जूट (63)

64. जूट (64)

65. जूट (65)

66. जूट (66)

67. जूट (67)

68. जूट (68)

69. जूट (69)

70. जूट (70)

71. जूट (71)

72. जूट (72)

73. जूट (73)

74. जूट (74)

75. जूट (75)

76. जूट (76)

77. जूट (77)

78. जूट (78)

79. जूट (79)

80. जूट (80)

81. जूट (81)

82. जूट (82)

83. जूट (83)

84. जूट (84)

85. जूट (85)

86. जूट (86)

87. जूट (87)

88. जूट (88)

89. जूट (89)

90. जूट (90)

91. जूट (91)

92. जूट (92)

93. जूट (93)

94. जूट (94)

95. जूट (95)

96. जूट (96)

97. जूट (97)

98. जूट (98)

99. जूट (99)

100. जूट (100)